राजस्थान वित्त निगम

उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर

क्रमांकः एफआर-एआरआरसी/ 322 दिनांकः 24 मई, 2006

परिपत्र

(एफआर-एआरआरसी सं. 131)

विषय :- राज्य सरकार के विभागों की बकाया राशि का भुगतान ।

निगम द्वारा दिनांक 26.7.02 को जारी परिपत्र संख्या एआरआरसी-50 द्वारा विक्रय की गई इकाइयों से प्राप्त विक्रय राशि में से 30 प्रतिशत राशि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों को देय राशि हेतु अलग से निर्धारित किया जाता है । विभिन्न शाखाओं से इस सम्बन्ध में उपरोक्त नीति निर्धारित होने से पूर्व विक्रय की गई इकाइयों में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की बकाया राशि का भुगतान करने हेतु संदर्भ प्राप्त हुए हैं । जो इकाइयाँ निगम द्वारा उपरोक्त नीति जारी होने के बाद निगम की देय राशि नहीं चुकाने के फलस्वरूप पुनः अधिगृहीत कर ली गई है एवं उसे पुनः विक्रय कर दिया गया है, वे शाखा कार्यालयों द्वारा बार-बार यह सन्दर्भ भेजा जा रहा है कि क्या पूर्व में बेची गई इकाई से संबंधित राज्य सरकार के विभागों की बकाया राशि का भुगतान निगम को करना पडेगा । इस सन्दर्भ में विषय की आवश्यक जांच कर निम्नलिखित निर्णय लिया गया है :-

1. निगम द्वारा दिनांक 26.7.02 को जारी किए गए परिपत्र के बाद विक्रय की समस्त इकाइयों में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की बकाया राशि चाहे वो इस परिपत्र के जारी होने से पहले की हो एवं जिसे पूर्व क्रेता द्वारा वहन करने का दायित्व हो एवं नहीं चुकाया गया है, का भुगतान राज्य सरकार के विभिन्न विभागों को नियमानुसार करेगा ।

...2

2 निगम द्वारा चुकाई गई राशि को पूर्व के क्रेता के खाते में (जिसने [illegible] नोटिस जारी होने से पूर्व इकाई को खरीदा था) में क्रेडिट किया जावेगा एवं शेष अतिदेय राशि की वसूली हेतु आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार की जावेगी ।

अतः इस सम्बन्ध में सभी सम्बन्धित प्रकरणों में शाखा कार्यालय अपने स्तर पर आवश्यक निर्णय लेकर लम्बित प्रकरणों में उपरोक्तानुसार कार्यवाही करें ।

(करणी सिंह राठौड़)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपिः-

1. मुख्यालय में मानक परिचालन
2. समस्त उप महाप्रबन्धक (क्षेत्रीय), समस्त शाखा/उप शाखा कार्यालय, राजस्थान वित्त निगम, जयपुर